न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1383–दो/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–4–2015 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील नीमच प्रकरण कमांक 40/अ–6/2012–13.

श्रीमती साधना अजमेरा पत्नी राजेश अजमेरा
निवासी भोगेश्वर मंदिर रोड, नीमच–2 .....आवेदिका

विरूद्ध

1– राकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश भारद्वाज
निवासी राजस्व कॉलौनी, नीमच
2– सज्जन सिंह पुत्र बापूसिंह
निवासी कनावटी, नीमच .....अनावेदकगण

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदिका
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/8/18 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–3–2015 एवं 9–4–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी द्वारा तहसीलदार, नीमच को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम कनावटी स्थित भूमि सर्वे कमांक 412/2 रकबा 0.512 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 408/817/4 रकबा 0.256 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 414 रकबा 0.115 हेक्टेयर अनावेदक कमांक 2 सज्जनसिंह के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी । उक्त भूमि को अनावेदक कमांक 1 राकेश कुमार को पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से विकय कर दिया गया है । उक्त पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर नामांतरण

हेतु अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, परन्तु रजिस्ट्री के 15 दिन पूर्व ही आवेदिका द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है, अतः प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 40/अ–6/2012–13 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदक कमांक 1 द्वारा रूचि नहीं लिये जाने के कारण दिनांक 23–3–2015 को प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया । अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रकरण पुनःस्थापित करने हेतु संहिता की धारा 35 (3) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 9–4–2015 को आदेश पारित करते हुए आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की गई । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि विकय करने के पूर्व का विकय अनुबंध पत्र आवेदिका के पक्ष में विकेता द्वारा निष्पादित किया गया है, इसलिए अनावेदक कमांक 1 का नामांतरण किया जाना विधिसंगत नहीं है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदिका को न तो पक्षकार बनाया गया है, और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि जब तहसीलदार द्वारा अनावेदक कमांक 1 के प्रकरण में रूचि नहीं लेने के कारण समाप्त किया गया था, तब संहिता की धारा 35 (3) के अंतर्गत पुनःस्थापित नहीं किया जा सकता है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय में प्रचलित कार्यवाही निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 1 द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 1 को सूचना नहीं दिये जाने के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका, और उसे प्रकरण निरस्त होने की जानकारी प्राप्त होने पर आदेश दिनांक 23–3–2015 को निरस्त कर कार्यवाही प्रचलित करने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे स्वीकार करने में तहसीलदार द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 9–4–2015 के प्रस्तुत की गई है । इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा दिनांक 23–6–2015 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, इस कारण यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर